कलकत्ता और मद्रास के प्रमुख बन्दरगाहों वाले नगरों के रहने वाले हैं । फिर भी स्थापित आयातकों को लाइसेंस देने में निरन्तर कमी की जा रही है और उनके लिये अब बहुत कम गुंजाइश रह गई है । देश में पंचवर्षीय योजनाओं के चलाने तथा औद्योगीकरण में प्रगति हो जाने से देश के विभिन्न भागों में बड़े और छोटे औद्योगिक कारखाने खुलते जा रहे हैं । औद्योगिक विकास हो जाने से निर्यात को बढ़ावा देने की प्रमुख आवश्यकता के कारण छोटे औद्योगिक कारखानों तथा निर्यात बढ़ाने की योजनाओं आदि के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को अधिक लाइसेंस दिये जा रहे हैं । प्रमुख बन्दरगाह वाले नगर आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभप्रद हैं और यही कारण है कि अधिकांश आयातक और निर्यातक उन्हीं स्थानों के मूल निवासी हैं । बन्दरगाह से दूर रहने वाले नये व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें नये लाइसेंस दे कर इस पर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च कर सकना सम्भव नहीं है। स्थापित आयातकों के अतिरिक्त दूसरे आयातकों को लाइसेंस देने के बारे में जो विद्यमान नीति है उससे बन्दरगाहों से दूर स्थित स्थानों में सीधा आयात और निर्यात व्यापार वैसे भी बढ़ता जा रहा है ।

**Low Income-Group Housing Scheme**

**2393. Shri Dasaraha Deb:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the total amount disbursed under Low Income-Group Housing Scheme in Tripura in 1961-62;

(b) the total amount disbursed to eligible tribal candidates in Tripura; and

(c) the number of applications made by tribals for such loan in 1961-62?

**The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Mehr Chand Khanna):** (a) Rs. 2,18,190.

(b) and (c). 31 loan applications from the tribals were received during 1961-62. No loan could be sanctioned to them during that year as the applications were not in conformity with the provisions of the Scheme and the Rules made thereunder.

**किदवई नगर, दिल्ली में कम्युनिटी हाल**

२३९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवई नगर नई दिल्ली के कम्यूनिटी हॉल का प्रबन्ध गृह-कार्य मंत्रालय के सुपुर्द करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का स्वरूप क्या है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) : यह निश्चय किया गया है कि विद्यमान समाज सदन भारत सेवक समाज के पास ही रहेगा । किदवाई नगर में एक अन्य हॉल बनाने का निश्चय कर लिया गया है । इसी प्रकार का निश्चय सरोजिनीनगर के सम्बन्ध में भी किया गया है ।

**पूर्वी पाकिस्तान में हरिजन**

२३९५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हरिजनों के साथ सद्व्यवहार नहीं होने के कारण वे भारत में आ रहे हैं या आने के अतिरिक्त अति इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल**